# अध्यक्ष का संदेश

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की वेबसाइट में आपका स्वागत है ।

पीएफआरडीए की स्थापना भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त, 2003 को की गई थी । पीएफआरडीए विधेयक, 2005 को अभी संसद का अनुमोदन प्राप्त होना है । विधेयक के पारित होने के लंबित रहते सरकार ने 10 अक्तूबर, 2003 के एक कार्यकारी आदेश द्वारा पीएफआरडीए को पेंशन क्षेत्र में विनियामक के तौर पर कार्य करने के लिए अधिदेशित कर दिया था । पीएफआरडीए को भारत में पेंशन क्षेत्र का विकास और विनियमन करने का अधिदेश प्राप्त है ।

नई पेंशन प्रणाली सेवानिवृत्ति पर समुचित आय की व्यवस्था की समस्या के स्थायी समाधान ढूंढने के सरकार के प्रयास को प्रतिबिंबित करती है । पेंशन संबंधी सुधारों की ओर पहले कदम के रूप में भारत सरकार ने सुस्पष्ट लाभ पेंशन से हटते हुए सुस्पष्ट अंशदान आधारित पेंशन को अपना लिया है और इसे 1 जनवरी, 2004 से अपनी नई भर्तियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य बना दिया है । 1 अप्रैल, 2008 से नई पेंशन प्रणाली में कवर किए गए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन अंशदानों को गैर-सरकारी भविष्य निधियों पर लागू सरकार के निवेश संबंधी मार्गनिर्देशों के अनुसार पेशेवर पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा निवेशित किया जा रहा है ।

बाईस (22) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने भी अपने नए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली अधिसूचित कर दी है । इनमें से छह राज्यों ने नई पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए पीएफआरडीए द्वारा नियोजित एनपीएस संरचना के मध्यवर्तियों के साथ पहले ही करार हस्ताक्षरित किए जाए चुके हैं । अन्य राज्य प्रलेखन तैयार करने में लगे हुए हैं ।

सरकार ने घोषित किया है कि एनपीएस 1 अप्रैल, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध होगी । तदनुसार, पीएफआरडीए एनपीएस संरचना के विस्तार की प्रक्रिया में लगा हुआ है ताकि इसे सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जा सके । एनपीएस संरचना पारदर्शी और वेब-समर्थित होगी । यह अभिदाता को एनपीएस के अंतर्गत अपने निवेशों और लाभों का अनुवीक्षण करने में समर्थ बनाएगी और पेंशन निधि प्रबंधक और निवेश विकल्प का चयन भी अभिदाता के पास होगा । इस ढांचे में अभिदाता को अपने निवेश विकल्पों के साथ पेंशन निधियों को बदलने की अनुमति दी गई है । पीएफएम के बीच निर्बाध सुवाह्यता और अदला बदली की सुविधा को इस ढंग से तैयार किया गया है कि अभिदाता अपनी बचत करने की पूरी अवधि में एकल पेंशन खाता रखने में समर्थ रहें ।

पीएफआरडीए ने पीएफएम के कार्यों की निगरानी के लिए भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत एक न्यास का गठन किया है । एनपीएस न्यास में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति शामिल हैं और विनियामक ढांचे में विविध प्रकार की प्रतिभा लायी जाएगी ।

नई पेंशन प्रणाली की ऐसी रूपरेखा बनाई गई है ताकि अभिदाता अपने भविष्य के बारे में अभीष्ट निर्णय ले सकें और वह अपने रोजगार शुरू करने के दिन से ही प्रणालीगत बचतों के माध्यम से वृद्धावस्था में भरण-पोषण की व्यवस्था करने में सक्षम हो सकें । इसमें प्रयास किया गया है कि नागरिक सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने की आदत बनाएं ।

पीएफआरडीए अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने की अपनी कार्ययोजना के अंतर्गत वित्तीय शिक्षा और जागरूकता के लिए अपना प्रयास तेज करने का भी इच्छुक है । पीएफआरडीए के प्रयास भारत में निरंतर और सक्षम स्वैच्छिक सुस्पष्ट अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली के विकास में मील के पत्थर हैं ।

पीएफआरडीए की वेबसाइट देखने के लिए धन्यवाद ।

**डी0 स्वरूप**